

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक: एफ 15(7)(6)/लाईट्स/विधि/आईसीडीएस/17

जयपुर, दिनांक :

समस्त प्रभारी अधिकारी, (वाद)

मुख्यालय।

समस्त उप निदेशक, मबावि

समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी,

विषय:- अवमानना प्रकरणों में जवाबदावा प्रस्तुत करने बाबत।

सन्दर्भ:- शासन संयुक्त सचिव, न्याय विभाग का पत्र दिनांक 27.09.2017

उपयुक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आपको बतौर प्रभारी अधिकारी आवंटित विभिन्न न्यायालय प्रकरणों में राज्य सरकार के विरुद्ध दायर अवमानना प्रकरणों की सूचनाएँ न्याय विभाग की वेबसाईट पर निर्धारित प्रपत्रों में अपडेट करने हेतु बार-बार लिखने के उपरान्त भी न्यायिक प्रकरणों को आज दिनांक तक अपडेट नहीं किया गया है।

अतः समस्त प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अवमानना प्रकरणों में जवाबदावा प्रस्तुत करने से संबंधित कार्यवाही यथाशीघ्र करवाकर न्याय विभाग की वेबसाईट लाईट्स पर जवाबदावा प्रस्तुत करने का इन्द्राज करवाना सुनिश्चित करावे।

उक्त निर्देशों का आप कठोरता से पालना करें अन्यथा विपरीत स्थिति में समस्त जिम्मेवारी आपकी मानते हुए उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया जावेगा।

sd

अति.निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एफ 15(7)(6)/लाईट्स/विधि/आईसीडीएस/17

32993-94

जयपुर, दिनांक : 26-2-18

प्रतिलिपि

1. उप शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
2. उप निदेशक एवं एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, (कम्प्यूटर) मुख्यालय को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

sd

अति.निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

C16/